

* ई-मेल

स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 17/05/18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0004-नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण, विपत्र कोड सं०- 48-2217800010004 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹37.40 लाख (सैंतीस लाख चालीस हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0004-नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण, विपत्र कोड सं०- 48-2217800010004 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹37.40 लाख (सैंतीस लाख चालीस हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	0004.01.01- वेतन	18,36,000.00	18,36,000.00
2	0004.01.03- जीवन यापन भत्ता	1,89,000.00	1,89,000.00
3	0004.01.04- मकान किराया भत्ता	2,94,000.00	2,94,000.00
4	0004.01.05- परिवहन भत्ता	48,000.00	48,000.00
5	0004.01.06- चिकित्सा भत्ता	12,000.00	12,000.00
6	0004.01.07- अन्य भत्ता	60,000.00	60,000.00
	योग-(क) वेतन एवं भत्ते	24,39,000.00	24,39,000.00
7	0004.11.01- यात्रा व्यय	2,00,000.00	2,00,000.00
8	0004.13.01- कार्यालय व्यय	2,75,000.00	2,75,000.00
9	0004.13.03- दूरभाष	50,000.00	50,000.00
10	0004.13.04- विद्युत प्रभार	25,000.00	25,000.00
11	0004.28.02- संविदा सेवायें	7,51,000.00	7,51,000.00
	योग (ख)	13,01,000.00	13,01,000.00
	कुल योग (क+ख)	37,40,000.00	37,40,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹37.40 लाख (सैंतीस लाख चालीस हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

५

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत राशि की निकासी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि का व्यय बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण में पदस्थापित माननीय न्यायाधीशों/कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य मदों पर किया जायेगा। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।
3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
4. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2217800010004 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2019 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट-14-12/14 के पृष्ठ सं०- 55/टि० पर दिनांक- 14.5.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 56/टि० पर दिनांक- 16.5.18 को प्राप्त है।
7. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17-05-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-12/14 04 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक- 17/05/18
 प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

17-05-18

सरकार के विशेष सचिव।

**Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Urban Development & Housing Department, Vikash Bhavan, New
Secretariat, PATNA, Bihar,**

Telephone: ,

Allotment for Pay and Pension

File Number : 2b/Budget-14-12/14(Part-1)

Date : 17/05/2018

Order Number : 354

Subject: Allotment of Rs 24.39 lakh in FY 2018-19 under establishment & committed expenditure

Reference Number : Sanction order no-04

Sanction is hereby accorded to the allotment of fund as per detail:-

Head of Account Detail:-

Demand Number: 48- Urban Development and Housing Department

Major Head: 2217- Urban Development

Sub-Major Head: 80- GENERAL

Minor Head: 001- DIRECTION AND ADMINISTRATION

Subhead: 0004 - NA

Head of Account: 48-2217-80-001-0004- NA

Total Budget Provision – 37,40,000

Allotment before this Allotment – 0

Present Allotment Amount – 24,39,000

Allottee/Sub-Allottee office – Urban Development and Housing Department

Purpose – Salaries and Allowances

Financial Year – 2018-2019

Additional Text :

Expenditure of the allotted amount will be done as per the conditions mentioned in the departmental Sanction order no-04 dated-17/05/2018

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. AG, Bihar, Patna
2. Treasury Officer, Secretariat Treasury, Vikash Bhawan, Patna
3. Under Secretary-cum-DDO, Urban Development & Housing Department.
4. Principal Secretary, Planning Department
5. Finance (Budget Section) Department

Annexure - I

Head of Account: 48-2217-80-001-0004-NA
Allottee/Sub Allottee Code: PBBURB002
Allottee/Sub Allottee designation: UNDER SECY, URBAN DEVELOPMENT & HOUSING

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
18978	01-01-Salary	18,36,000
18979	01-03-Living allowance	1,89,000
18980	01-04-House rent allowance	2,94,000
18981	01-05-Transportation allowance	48,000
18982	01-06-Medical allowance	12,000
18983	01-07-Others allowance	60,000
Total:		24,39,000

Comprehensive Financial Management System, Government of Bihar
Urban Development and Housing Department
Urban Development & Housing Department, Vikash Bhavan, New
Secretariat, PATNA, Bihar,

Telephone: ,

Allotment for other expenses

File Number : 2b/budget-14-12/14

Date : 17/05/2018

Order Number : 353

Subject: Allotment of Rs 13.01 lakh in FY 2018-19 under establishment & committed expenditure

Reference Number : Sanction order no-04

Sanction is hereby accorded to the allotment of fund as per detail:-

Head of Account Detail:-

Demand Number: 48- Urban Development and Housing Department

Major Head: 2217- Urban Development

Sub-Major Head: 80- GENERAL

Minor Head: 001- DIRECTION AND ADMINISTRATION

Subhead: 0004 - NA

Head of Account: 48-2217-80-001-0004- NA

Total Budget Provision – 37,40,000

Allotment before this Allotment – 0

Present Allotment Amount – 13,01,000

Allottee/Sub-Allottee office – Urban Development and Housing Department

Purpose – Establishment Related Expenditure

Financial Year – 2018-2019

Additional Text :

Expenditure of the allotted amount will be done as per the conditions mentioned in the departmental Sanction order no-04 dated-17/05/2018

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. AG, Bihar, Patna
2. Treasury Officer, Secretariat Treasury, Vikas Bhawan, Patna
3. Under Secretary-cum-DDO, Urban Development & Housing Department.
4. Principal Secretary, Planning Department
5. Finance (Budget Section) Department

Annexure - I

Head of Account: 48-2217-80-001-0004-NA
Allottee/Sub Allottee Code: PBBURB002
Allottee/Sub Allottee designation: UNDER SECY, URBAN DEVELOPMENT & HOUSING

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
18984	11-01-Traveling expenses	2,00,000
18985	13-01-Office expenses	2,75,000
18986	13-03-Telephone	50,000
18987	13-04-Electrification charge	25,000
18988	28-02-Contract services	7,51,000
Total:		13,01,000